डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजी क्रमांक रायपुर डिवीजन

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 56-अ] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 27 मार्च 2001—चैत्र 6, शक 1923

छत्तीसगढ़ शासन

विधि और विधायी कार्य विभाग

रायपुर दिनांक 27-3-2001

क्रमांक डी. 1449/21-अ (प्रारूपण) 2001.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित विधेयक (क्रमांक 1 सन् 2001) सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.

"छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 2) अधिनियम सन् 2001 (क्रमांक 1 सन् 2001).

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. एस. उबोवेजा, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 1 सन् 2001)

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 2) अधिनियम, 2001

वित्तीय वर्ष 2000-2001 की सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक.

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 2) अधिनियम, 2001 है.

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए राज्य की संचित निधि में से 3,67,21,22,166 रुपयों का दिया जाना.

2. छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक राशियां, जिनका कुल योग तीन सौ सड़सठ करोड़, इक्कीस लाख, बाईस हजार, एक सौ छासठ रुपया होता है, उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिये जो अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सेवाओं के बाबत् वित्तीय वर्ष 2000-2001 के दौरान दिये जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेंगी.

विनियोग.

3. इस अधिनियम द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखिये)

अनुदान का संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन		निम्नलिखित से अनधिक राशियां		योग
			विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
			रुपये	रुपये	रुपये
	भारित विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा.	राजस्व	0	62,88,43,000	62,88,43,000
01	सामान्य प्रशासन	राजस्व	1,00,00,100	2,00,000	1,02,00,100
03	पुलिस	राजस्व	4,59,10,100	0	4,59,10,100
05	जेल	राजस्व	16,00,000	0	16,00,000

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
			रुपये	रुपये	रुपये
06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	4,00,000	0	4,00,000
		पूंजी	20,00,000	0	20,00,000
07	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	1,68,30,000	0	1,68,30,000
11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	1,45,00,000	0	1,45,00,000
13	कृषि	राजस्व	7,40,100	0	7,40,100
18	श्रम	राजस्व	17,000	0	17,000
19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व	14,71,166	0	14,71,166
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राजस्व	2,71,00,000	0	2,71,00,000
23	जल संसाधन विभाग	राजस्व	3,79,80,000	0	3,79,80,000
		पूंजी	5,38,53,000	0	5,38,53,000
24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल.	पूंजी	7,68,00,000	0	7,68,00,000
27	स्कूल शिक्षा	राजस्व	8,10,000	0	8,10,000
28	राज्य विधान मंडल	राजस्व	7,33,000	0	7,33,000
29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	राजस्व	22,64,000	92,50,000	1,15,14,000
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	2,00,00,000	0	2,00,00,000
		पूंजी	88,00,00,000	0	88,00,00,000
33.	आदिमजाति कल्याण	राजस्व	10,00,000	0	10,00,000
36	परिवहन	राजस्व	45,50,000	0	45,50,000
41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	राजस्व	7,61,96,200	0	7,61,96,200
		पूंजी	9,42,62,000	0	9,42,62,000
42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल.	पूंजी	2,62,00,000	0	2,62,00,000

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
			रुपये	रुपये	रुपये
43	खेल और युवक कल्याण	राजस्व	3,00,000	0	3,00,000
44	उच्च शिक्षा	राजस्व	30,50,000	0	30,50,000
45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	राजस्व	1,74,86,000	0	1,74,86,000
		पूंजी	100	0	100
47	तकनीकी शिक्षा और जन शक्ति नियोजन विभाग.	राजस्व	8,00,000	0	8,00,000
48	ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रशासन का उन्नयन अनुदान.	राजस्व	22,68,00,000	0	22,68,00,000
		पूंजी	32,24,40,000	0	32,24,40,000
49	अनुसूचित जाति कल्याण	राजस्व	50,00,000	0	50,00,000
55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय.	राजस्व	25,58,000	0	25,58,000
56	ग्रामोद्योग	राजस्व	200	0	200
58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय.	राजस्व	86,87,00,000	0	86,87,00,000
64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना.	राजस्व	40,00,200	0	40,00,200
		पूंजी	15,00,00,000	0	15,00,00,000
80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व	2,51,67,000	0	2,51,67,000
81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता.	राजस्व	1,23,11,000	0	1,23,11,000
		योग राजस्व	**1,42,82,74,066**	**63,82,93,000**	**2,06,65,67,066**
		पूंजी	**1,60,55,55,100**	**0**	**1,60,55,55,100**
		वृहद योग	**3,03,38,29,166**	**63,82,93,000**	**3,67,21,22,166**

"यह विधेयक छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा गुरुवार, दिनांक 22 मार्च, 2001 को पारित किया गया."

रायपुर :

दिनांक 26 मार्च, 2001

अध्यक्ष,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

मैं इस विधेयक पर अनुमति देता हूं.

रायपुर :

दिनांक 27 मार्च, 2001

(दिनेश नन्दन सहाय)
राज्यपाल,
छत्तीसगढ़.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.